न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक/प्रशासन गांवो के संग अभियान/2023/ 200 दिनॉक :– 30.05.2023

राजस्व वाद सं. 99 /2023 GCMS No. —/2023/195—

उनवान प्रकरण :– **सायरी** बनाम तहसीलदार

–: आदेश:–

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का **आनन्दपुरा** व भू.अ.नि. **जिलिया** की रिपोर्ट तथा नायब तहसीलदार चितावा/तहसीलदार कुचामनसिटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	राणासर	128	साउदेवी पुत्री सुजाराम हिस्सा 1/16 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	सायरी पुत्री सुजाराम हिस्सा 1/16 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
2	राणासर	129	साउदेवी पुत्री सुजाराम हिस्सा 1/16 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	सायरी पुत्री सुजाराम हिस्सा 1/16 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
3	राणासर	130	साउदेवी पुत्री सुजाराम हिस्सा 1/16 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	सायरी पुत्री सुजाराम हिस्सा 1/16 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

क्रमांक/2023/ 201-202 दिनॉक :– 30.05.2023

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी सायरी पुत्री सुजाराम जाति कुम्हार सा. राणासर तह.कुचामन को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 18:00:39 IST
Reason: SelfAttested